

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र भुरटिया

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. तगाराम पुत्र आदूराम
2. देवाराम पुत्र आदूराम
3. जोगाराम पुत्र आदूराम
4. पोकरराम पुत्र आदूराम
5. सारो पत्नी आदूराम

1. पदमो देवी पत्नी जगाराम मेघवाल
2. खंगारसिंह पुत्र चुतरसिंह राजपूत
3. जेठाराम पुत्र मधाराम मेघवाल

जाति जाट निवासी भुरटिया


निवासी भुरटिया तहसील व जिला बाड़मेर।

तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या-608/2018 दिनांक-11.12.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा भुरटिया, पटवार हलका भुरटिया, तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 973/113 रकबा 30.00 बीघा बा.दो. के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षर एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(रोहित चौहान)


उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2021/ 6571-6574

दिनांक- 11/12/2021

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एम पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालन प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भुरटिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी तगाराम पुत्र आदूराम वगैराह जाति जाट निवासी भुरटिया, तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी पदमों देवी पत्नी जगाराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी भुरटिया, तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर